पत्रांक– पु0 / सू0 / केन्द्र / नि0 / प्राधिकार–54 / 2019....30....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार पटना।

सेवा में ,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)

बिहार पटना ।

अनौपचारिक रूप से

परामर्शित द्वारा वित्त विभाग।

पटना, दिनांक 25/05/2026

विषयः– खुदाबख़्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना को वित्तीय वर्ष–2026–27 मे स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन (31–06) मद में उपबंधित **रू०–25,00,000=00 (पचीस लाख रूपये) मात्र** की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल उक्त राशि में से **रू०–8,25,000=00 (आठ लाख पचीस हजार रूपये) मात्र** की व्यय की विमुक्ति के संबंध में।

उद्देश्यः– सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खुदाबख़्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना के स्थापना एवं विकास हेतु सहायक अनुदान गैर वेतन मद में राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि, पुस्तकालय का नियमित संचालन होता रहे। वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त पुस्तकालय के स्थापना एवं विकास हेतु **रू०–25,00,000=00 (पचीस लाख रूपये) मात्र** की राशि का बजटीय उपबंध किया गया है।

आदेश–स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खुदाबख़्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत स्थापना मद के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायक अनुदान गैर वेतन (31–06) मद में उपबंधित **रू0–25,00,000=00 (पचीस लाख रूपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त राशि में से तत्काल **रू०–8,25,000=00 (आठ लाख पचीस हजार रूपये) मात्र की राशि के** व्यय की विमुक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 में आय–व्यय के मांग सं०–21 मुख्य शीर्ष–2205–कला एवं संस्कृति, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सार्वजनिक पुस्तकालय, उपशीर्ष–0009–खुदाबख़्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना, विपत्र कोड–21–2205001050009, विषय शीर्ष–0009–31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपबंधित राशि **रू0–25,00,000=00 (पचीस लाख रूपये) मात्र** के अन्तर्गत किया जायेगा।

2m

3. उक्त आवंटन को उप निदेशक प्रशासन–सह–बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के द्वारा **C.F.M.S 2.0** से आवंटित करते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त राशि निदेशक, पुस्तकालय–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें जो राशि की निकासी, पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर **CFMS 2.0** प्रणाली के तहत BTC 42 पर पटना कोषागार, पटना से निकासी कर पुस्तकालय निदेशालय के बैंक ऑफ बड़ौदा, पटना मुख्य शाखा, पटना के **IFSC CODE-BARB0PATNAX, A/C No-00030100018204** में तत्काल सुरक्षित रखते हुए **RTGS** के माध्यम से संबंधित पुस्तकालय के सचिव को राशि पुस्तकालय के लेखा में उपलब्ध करायेगें साथ ही यह सुनिश्चित हो लेंगें कि इसके पूर्व वित्तीय वर्ष का संबंधित पुस्तकालयों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ली गई है। इसके उपरान्त ही पुस्तकालय के सचिव को राशि भुगतान किया जायेगा।

5. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग, वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार एवं महालेखाकार बिहार, पटना को लेखा का अंकेक्षण निरीक्षण करने का अधिकार होगा। पुस्तकालय के संबंधित सचिव इस राशि का लेखा का संधारण अलग से करेंगें।

6. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र (फार्म–42 ए0) में विधिवत भरकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण के साथ निर्धारित अवधि में विभाग को समर्पित किया जायेगा, ताकि प्रतिहस्ताक्षरोपरांत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को प्रेषित किया जा सके।

7. 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से करा लिया जायेगा।

8. राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय वेतन एवं पेंशनादि मद में भुगतान हेतु नहीं किया जायेगा।

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं0–2561 दिनांक–17.04.1998, वित्तीय वर्ष 2024–25 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था संबंधित पत्रांक–314, दिनांक–01.04.2026 एंव समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।

10. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–पु0/सू0/केन्द्र/निदे0/प्राधिकार–54/2019 के **नोट–41/टि०** पर **दिनांक–27.04.2026** को प्राप्त है।

11. संचिका संख्या–पु0/सू0/केन्द्र/नि0/प्राधिकार–54/2019 के **नोट–44** पर **दिनांक–20.05.2026** को राशि की निकासी पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

12.सहायक अनुदान राशि का अन्य मदों पर विचलन नहीं किया जायेगा।

13.मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–पु0/सू0/केन्द्र/नि0/प्राधिकार–54/2019–............ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–पु0/सू0/केन्द्र/नि0/प्राधिकार–54/2019–30..... पटना, दिनांक 25/05/2020

प्रतिलिपिः–निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी/बजट प्रशाखा–05 शिक्षा विभाग, बिहार पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार, बिहार पटना/लेखा/स्थापना पुस्तकालय निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खुदाबख़्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव